विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–28.12.2023 को सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति :– संचिका में संधारित।

कार्यवाही– सर्वप्रथम विभागीय सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

A. हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

समीक्षा के क्रम में हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय की योजना की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत प्रस्तुत किया गया–

(राशि लाख में)

कार्यालय	बजट उपबंध	प्रस्तावित राशि	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	उप आवंटित राशि	व्यय की राशि
ह0रे0ह0 निदेशालय	10000.00	9493.13	7401.38	7101.38	6828.35	5382.00
बोर्ड/निगम	4955.00	4955.00	4407.84	4407.84		4407.84

- प्रस्तावित योजना व्यय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जितनी राशि निदेशक, ह0रे0ह0 निदेशालय को स्वीकृत की गयी थी उस अनुपात में व्यय काफी कम है। कुल आवंटन रू0 7401.38 में रू0 4407.84 विभिन्न बोर्ड को आवंटित किया गया है जिसे व्यय के रूप में दर्शाया गया है। इन बोर्ड से संबंधित कोई भी व्यय प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
- सचिव, उद्योग द्वारा यह निदेश दिया गया कि शेड प्राक्कलनों का तकनीकी समीक्षा करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को दिनांक–15.01.2024 तक उपलब्ध कराया जाय।
- समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि रू0 20.00 करोड़ योजना का प्रस्ताव विभिन्न कारणों से स्वीकृत नहीं किया जा सका है। इस संबंध में जो प्रस्ताव निदेशक, ह0रे0ह0 निदेशालय द्वारा दिया गया है उसमें कुछ त्रुटि पायी गयी है। त्रुटि के निराकरण हेतु निदेशक, ह0रे0ह0 निदेशालय को पत्र लिखा गया है। सचिव, उद्योग द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि त्रुटि का निराकरण कर दिनांक–15.01.2024 तक सारे प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन–निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

B. झारक्राफ्ट

सचिव महोदय द्वारा झारक्राफ्ट की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट द्वारा यह सूचित किया गया कि झारक्राफ्ट से संबंधित रू0 13.00 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था उसमें मात्र रू0 7,52,84,000/–रूपये ही स्वीकृत किया गया। शेष राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। पुनः शेष राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। इस क्रम में शेष राशि रू0 5,47,15,277/–रूपये स्वीकृत करने का निर्देश विभागीय सचिव के द्वारा दिया गया।

अनुपालन–उद्योग विभाग।

- झारक्राफ्ट को बेहतर ढंग से क्रियाशील बनाने का निदेश दिया गया।